न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 46/2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

............*प्रार्थी*

बनाम

महेन्द्र कुमार गैना
निवासी तबीजी, अजमेर .
थाना मांगलियावास

........*अप्रार्थी*

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ; 1.श्री अब्दुल सादिक प्रर्वतन अधिकारी — पैरोकार सरकार
2.श्री उत्तम गुरूबक्षानी — अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 24.04..2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 14.09.2022 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा श्री हेमन्त आर्य, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उपखण्ड क्षेत्र अजमेर की एफ.पी.एस कोड 2332, महेन्द्र कुमार गैना, तबीजी, अजमेर की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। जिसमें मौके पर उचित मूल्य दुकानदार महेन्द्र कुमार गैना उपस्थित मिला। मौके पर दिनांक 14.09.2022 को पोस मशीन पर स्टॉक की जांच की, जिसमें चांवल 189.12 कि.ग्रा. चना 801.00 किग्रा., गेहूँ 189.12 किग्रा, गेहूं एन.एफ.एस.ए. 4296.30 कि.ग्रा, बीपीएल/एसबी/ए.ए.वाई 6219.80 किग्रा तथा शक्कर 100.50 किग्रा, दर्ज मिला जिनमें चांवल 189.12 किग्रा, चना 801.00 किग्रा, गेहूं 189.12 किग्रा आगंनबाडी केन्द्र तबीजी को दिया हुआ बताया । शेष गेहूं 4296.30 किग्रा तथा बीपीएल/एसबी/एएवाई 6219.80 किग्रा कुल गेहूं मात्रा 10516.1 किग्रा का भौतिक सत्यापन करने पर उक्त मात्रा सही मिली। साथ ही दिनांक 13.09.2022 को ट्रक चालान नं0 CNAW00010186398 तथा CHAW0010286392 से प्राप्त कुल गेहूं मात्रा 10917.00 किग्रा का भौतिक सत्यापन करने पर सही मात्रा में मिला। लेकिन ट्रक चालान रसीद पर हस्ताक्षर परिवहनकर्त्ता व ड्राइवर तथा विकेता के हस्ताक्षर नहीं मिले। मौके उपस्थित ग्रामीण राजेश गैना, नरेन्द्र जाखड तथा सलीम ने बताया कि दिनांक 13.09.2022 की रात करीब 10.30 पर एफपीएस कोड 2332 महेन्द्र गैना की दुकान से लौडिंग टैम्पु आर.जे. 19 जी बी 2978 में गेहूँ भरकर निकला, जिसे हटूण्डी तबीजी सडक मार्ग पर रोका गया फिर उन्होने टैम्पू चालक आसिफ अली पुत्र इस्माइल निवासी तबीजी से पूछताछ की जिसमें टैम्पू चालक आसिफ अली ने बताया कि टैम्पू में भरे हुए गेहूं राशन पीडीएस के हैं और तबीजी से लाना बताया। टैम्पू में गेहूँ से भरी एफ.सी.आई. मार्क सिलाई वाली 27 गेहूँ के कट्टे मिले जो कि औस 50-50 किग्रा गेहूं मात्रा का है। उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष टैम्पू चालक ने गलती स्वीकार की, जिस पर मांगलियावास थाने को सूचित किया गया था। साथ ही जिला रसद अधिकारी को भी सूचित किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष टैम्पू चालक आसिफ अली के बारे में पूछताछ करने पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई । मौके पर 27 गेहूं के कट्टे के बारे में राशन डीलर महेन्द्र गैना से पूछने पर उसने स्वीकार किया कि 12 गेहूँ के कट्टे उसके हैं, जिसको उसने टैम्पू चालक आसिफ को बेच दिए हैं। थानाधिकारी, पुलिस थाना मांगलियावास के पत्र दिनांक 14.09.2022 के पत्र में डिटेन व सुरक्षार्थ वाहन बंद बॉडी लोडिंग टैम्पू मय गेहूं संबंधी रोजनामचा विवरण यथा इत्तला मिली है कि ग्राम तबीजी में काफी व्यक्ति इक्कठ्ठे हो रखे हैं। एक लोडिंग टेम्पू जिसके नम्बर आर.जे 19 जी.बी. 2978 को रूकवा रखा है। टैम्पू में गेहूँ के कट्टे भरे हुए हैं आदि। ईत्तला पर पुलिस चौकी सराधना से लेकर हटूण्डी रोड तबीजी से आगे पहुँचे तो वहां पर उप सरपंच शोभाग गैना व अन्य ग्रामवासी इक्कठ्ठे हो रखे थे व मौके पर एक बंद बॉडी लोडिंग टेम्पू जिसके नम्बर आर.जे. 19 जीबी 2978 सडक पर खडा था। जिसका मैन सीसा सामने का टूटा हुआ था, टेम्पू के अन्दर करीबन 10–12 गेहूँ के जूट के कट्टे पडे मिले व करीब 12–13 कट्टे सडक पर गेहू के पडे थे व ग्रामवासियों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त टेम्पू तबीजी से हटूण्डी की तरफ जा रहा था जिसको हम लोगो ने रूकवाया है। ग्रामवासियों की मदद से टेम्पू में गेहूँ के कट्टे को लोड करवाया गया बाद में टैम्पू को लेकर पुलिस चौकी सराधना पर सुरक्षार्थ खडा कराया गया। जब्त लोडिंग टेम्पू नम्बर आर.जे. 19 जी.बी. 2978 को पुलिस चौकी सराधना के कान्स्टेबल हेमराज को सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर चौकी परिसर में एक लोडिंग टैम्पू नम्बर आर. जे. 19 जीबी 2978 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं भरा मिला। उक्त टैम्पू के सामने का सीसा टूटा मिला। मौके पर उक्त वाहन के मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उक्त लोडिंग से भरे गेहूं के कट्टो को गिनने पर पाया गया कि संख्या 27 है जिसमें कुल 1443.65 किग्रा गेहूं है। उक्त गेहूं को मौके पर कब्जे राज लेकर जब्त किया गया। जब्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली गेहूं की सराधना राशन डीलर एफपीएस 2322 अमरचन्द को सुपुर्दगी में दिया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 3, 4, 9, 11, 13, 14, 17 तथा 18 का खुला उल्लंघन के अन्तर्गत आता है। अतः जब्तशुदा उक्त सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आयें, जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 14.09.2022 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा श्री हेमन्त आर्य, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उपखण्ड क्षेत्र अजमेर की एफ.पी.एस कोड 2332, महेन्द्र कुमार गैना, तबीजी, अजमेर की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। जिसमें मौके पर उचित मूल्य दुकानदार महेन्द्र कुमार गैना उपस्थित मिला। मौके पर दिनांक 14.09.2022 को पोस मशीन पर स्टॉक की जांच की, जिसमें चांवल 189.12 कि.ग्रा. चना 801.00 किग्रा., गेहूँ 189.12 किग्रा, गेहूं एन.एफ.एस.ए. 4296.30 कि.ग्रा, बीपीएल / एसबी / ए.ए.वाई 6219.80 किग्रा तथा शक्कर 100.50 किग्रा, दर्ज मिला जिनमें चांवल 189.12 किग्रा, चना 801.00 किग्रा, गेहूं 189.12 किग्रा आगंनबाडी केन्द्र तबीजी को दिया हुआ बताया । शेष गेहूं 4296.30 किग्रा तथा बीपीएल / एसबी / एएवाई 6219.80 किग्रा कुल गेहूं मात्रा 10516.1 किग्रा का भौतिक

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

सत्यापन करने पर उक्त मात्रा सही मिली। साथ ही दिनांक 13.09.2022 को ट्रक चालान नं0 CNAW00010186398 तथा CHAW0010286392 से प्राप्त कुल गेहूं मात्रा 10917.00 किग्रा का भौतिक सत्यापन करने पर सही मात्रा में मिला। लेकिन ट्रक चालान रसीद पर हस्ताक्षर परिवहनकर्त्ता व ड्राइवर तथा विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं मिले। मौके उपस्थित ग्रामीण राजेश गैना, नरेन्द्र जाखड तथा सलीम ने बताया कि दिनांक 13.09.2022 की रात करीब 10.30 पर एफपीएस कोड 2332 महेन्द्र गैना की दुकान से लौडिंग टैम्पु आर.जे. 19 जी बी 2978 में गेहूँ भरकर निकला, जिसे हटूण्डी तबीजी सडक मार्ग पर रोका गया फिर उन्होने टैम्पू चालक आसिफ अली पुत्र इस्माइल निवासी तबीजी से पूछताछ की जिसमें टैम्पू चालक आसिफ अली ने बताया कि टैम्पू में भरे हुए गेहूं राशन पीडीएस के हैं और तबीजी से लाना बताया। टैम्पू में गेहूँ से भरी एफ.सी.आई. मार्क सिलाई वाली 27 गेहूँ के कट्टे मिले जो कि औस 50–50 किग्रा गेहूं मात्रा का है। उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष टेम्पू चालक ने गलती स्वीकार की, जिस पर मांगलियावास थाने को सूचित किया गया था। साथ ही जिला रसद अधिकारी को भी सूचित किया गया। उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष टैम्पू चालक आसिफ अली के बारे में पूछताछ करने पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई । मौके पर 27 गेहूं के कट्टे के बारे में राशन डीलर महेन्द्र गैना से पूछने पर उसने स्वीकार किया कि 12 गेहूँ के कट्टे उसके हैं, जिसको उसने टैम्पू चालक आसिफ को बेच दिए हैं। थानाधिकारी, पुलिस थाना मांगलियावास के पत्र दिनांक 14.09.2022 के पत्र में डिटेन व सुरक्षार्थ वाहन बंद बॉडी लोडिंग टैम्पू मय गेहूं संबंधी रोजनामचा विवरण यथा इत्तला मिली है कि ग्राम तबीजी में काफी व्यक्ति इक्कठ्ठे हो रखे हैं। एक लोडिंग टेम्पू जिसके नम्बर आर.जे 19 जी.बी. 2978 को रूकवा रखा है। टैम्पू में गेहूँ के कट्टे भरे हुए हैं आदि। ईत्तला पर पुलिस चौकी सराधना से लेकर हटूण्डी रोड तबीजी से आगे पहुँचे तो वहां पर उप सरपंच शोभाग गैना व अन्य ग्रामवासी इक्कठ्ठे हो रखे थे व मौके पर एक बंद बॉडी लोडिंग टेम्पू जिसके नम्बर आर.जे. 19 जीबी 2978 सडक पर खडा था। जिसका मैन सीसा सामने का टूटा हुआ था, टेम्पू के अन्दर करीबन 10–12 गेहूँ के जूट के कट्टे पडे मिले व करीब 12–13 कट्टे सडक पर गेहू के पडे थे व ग्रामवासियों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त टेम्पू तबीजी से हटूण्डी की तरफ जा रहा था जिसको हम लोगो ने रूकवाया है। ग्रामवासियों की मदद से टेम्पू में गेहूँ के कट्टे को लोड करवाया गया बाद में टैम्पू को लेकर पुलिस चौकी सराधना पर सुरक्षार्थ खडा कराया गया। जब्त लोडिंग टेम्पू नम्बर आर.जे. 19 जी.बी. 2978 को पुलिस चौकी सराधना के कान्स्टेबल हेमराज को सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर चौकी परिसर में एक लोडिंग टैम्पू नम्बर आर.जे. 19 जीबी 2978 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं भरा मिला। उक्त टैम्पू के सामने का सीसा टूटा मिला। मौके पर उक्त वाहन के मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उक्त लोडिंग से भरे गेहूं के कट्टो को गिनने पर पाया गया कि संख्या 27 है जिसमें कुल 1443.65 किग्रा गेहूं है। उक्त गेहूं को मौके पर कब्जे राज लेकर जब्त किया गया। जब्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली गेहूं की सराधना राशन डीलर एफपीएस 2322 अमरचन्द को सुपुर्दगी में दिया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 3, 4, 9, 11, 13, 14, 17 तथा 18 का खुला उल्लंघन के अन्तर्गत आता है। अतः जब्तशुदा उक्त सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया ।

जवाब में अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब नोटिस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि दिनांक 14.09.2022 को रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

द्वारा स्टॉक जांच करने पर पोस मशीन में बताई गई रसद सामग्री पूरी पाई गई। बिल ऑनलाईन है और हस्ताक्षर की जिम्मेदारी विक्रेता की है। टैम्पो में मिली सामग्री ना तो अप्रार्थी की है और ना ही ग्राहकों की उपस्थिति में उसने स्वीकार की है। बरामद टैम्पो एवं रसद सामग्री अप्रार्थी की नहीं है। यदि उसे राजसात की जाती है तो कोई एतराज नहीं है। अतः अप्रार्थी को दिया गया नोटिस निरस्त करें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। फर्द मौका एवं जप्ती रिपोर्ट से उक्त लोडिंग टैम्पों आर. जे.19 जे.बी. 2978 में भरे गेहूं के कट्टों को गिनने पर पाया गया कि संख्या 27 है, जिसमें कुल 1443.65 किग्रा गेहूं है। जो कि अवैध रूप से भण्डारित किया जाना स्पष्ट करता है। लिहाजा उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 2, 11 एवं 17 (री) का स्पष्ट उल्लघंन प्रकट करता है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध भी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कब्जे राज लिया गया गेहूं 1443.65 किग्रा को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर राजसात किये गये 1443.65 किलो गैहूँ का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त राशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा करावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.04..2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर।